न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/1945/2006/भरतपुर

महाराजसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मजाजपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

.....अपीलांट/वादी

बनाम

भरोसी पुत्र किशोरी जाति माली निवासी ग्राम मजाजपुर तहसील वैर जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री ओ0एल0दवे, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 04–07–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 62/2005 में पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर वैर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मजाजपुर तहसील वैर विवादित आराजी खसरा संख्या 440 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वादी की मिलकीयत एवं खुदकाश्त की आराजी है, जो उनके बाबा भोरण पुत्र सम्पत की मिलकीयत एवं खुदकाश्त की आराजी थी, जो बाद में हाकिमसिंह एवं महाराजसिंह की खुदकाश्त में आयी, जिस पर हाकिमसिंह एवं महाराजसिंह संयुक्त खातेदार रहे तथा हाकिमसिंह का देहान्त होने के बाद अपीलार्थी एक मात्र खातेदार काबिजकाश्त चला आ रहा है। इस आराजी पर प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वाद का प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार वाद को मय खर्चे खारिज करने का अंकन किया। उक्त वाद व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने 4 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2001 को वादी का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-02-2006 द्वारा निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/वादी ने यह द्वितीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/वादी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि आराजी मुतनाजा वादी की संयुक्त परिवार की भूमि तथा उक्त आराजी पर उसका सम्वत 2012 से पूर्व निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा है एवं आज भी उनका ही कब्जा है। किन्तु प्रतिवादी ने राजस्व कार्मिकों को सांठगांठ कर आराजी को रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली। उनका आगे कहना है कि आराजी वादी की

मिलकीयत एवं खुदकाश्त की है, जो उनके बाबा भोरण पुत्र सम्पत की मिलकीयत एवं खुदकाश्त की आराजी थी, जो बाद में हाकिमसिंह एवं महाराजसिंह की खुदकाश्त में आयी, जिस पर हाकिमसिंह एवं महाराजसिंह संयुक्त खातेदार रहे तथा हाकिमसिंह का देहान्त होने के बाद अपीलार्थी एक मात्र खातेदार काबिजकाश्त चला आ रहा है। इस आराजी पर प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं है। आगे बताया कि दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने व उनके पूर्वजों ने कभी भी किशोरी को आराजी बटाई या काश्त हेतु नहीं दी। जबकि प्रतिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उनको भूमि किसने कब काश्त हेतु दी व किन शर्तो पर दी। उनका तर्क है कि सर्वप्रथम नाम जो खसरा गिरदावरी में आया तथा पटवारी द्वारा जो इन्द्राज किए गए, जिससे प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं मिलते। उनका यह भी तर्क है कि जमीदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम समाप्त होने के बाद आराजी उनके कब्जे में होने के कारण वे स्वतः ही आराजी के खातेदार हो गए। किन्तु विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय बिना किसी आधार के अपीलान्ट के विरूद्ध करने में भूल की है। अन्त में उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्रियों को निरस्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में 2001 डीएनजे राज. 119 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

5. विद्वान रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी ने अपनी बहस में कहा कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किए है। उन्होंने बताया कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है तथा आराजी में जो कुआं है उसे पंचायत समिति से ऋण लेकर बनाया है। उनका तर्क है कि वाद संख्या 400/1988 महाराजसिंह ने किशोरी के विरूद्ध पेश किया था, जबकि यह वाद हाकिमसिंह व महाराजसिंह द्वारा पेश किया है। उनका यह भी तर्क है कि पूर्व के दावे में महाराजसिंह ने अकेले ही उक्त आराजी पर सम्वत 2012 से पूर्व से कब्जा बतलाया था, लेकिन इस इस दावे में दोनों ने अपना संयुक्त कब्जा बतलाया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वादी जबरदस्ती जमीन हडपने की नीयत से वाद दायर किया है, जिसको खारिज करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है।

अतः प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 1987 आरआरडी 202, 1980 आरआरडी 750 व 1997 आरबीजे 149 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है।

7. विचाराधीन प्रकरण में निर्णय करने हेतु मुख्य बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी/वादी विवादित आराजी खसरा संख्या 440 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि के संबंध में सम्वत सम्वत 2012 से पूर्व से लगातार काबिज रहने के कारण अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं ?

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/वादी के वाद में विचारण न्यायालय ने 4 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2001 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। रेकार्ड के अनुसार स्पष्ट है कि प्रदर्श-1, प्रदर्श-2 के अनुसार इसी आराजी बाबत एक प्रकरण संख्या 132/1990 उनवान किशोरी बनाम बुद्धा अन्तर्गत धारा 188 पेश हुआ, जो खारिज हो गया। प्रदर्श-4 नकल गिरदावरी सम्वत 2009-2012 संलग्न है, जिसके अनुसार सम्वत 2012 में किशोरी वल्द सखा माली गैरमौरूसी मुताबिक रेन्ट कन्ट्रोल 2 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है। प्रस्तुत सजरे के अनुसार भी वादी का कोई हक साबित नहीं होता है। प्रदर्श-5 जमाबंदी सम्वत 2012-2015 किशोरी वल्द सरमण माली साकिन देह गैरमौरूसी एक साल खसरा संख्या 880 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा दर्ज है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी सम्वत 2049-2053 में विवादित आराजी पर किशोरी वल्द सरमन कौम माली सा. देह खातेदार

दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादी विवादित आराजी पर सम्वत 2012 से पूर्व से काबिज है व राजस्व रेकार्ड में भी उसका नाम बदस्तूर चला आ रहा है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में किया गया विवेचन विधिनुसार है तथा न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को उक्त तनकी में किए विवेचनुसार निर्णित करने में किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। हमारी राय में मूल वाद में तनकी संख्या 1 व 2 महत्वपूर्ण है, जिनका उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर परीक्षण करते हुए वादी के विरूद्ध निर्णित करने में कोई अनियमितता नहीं पायी जाती है।

9. रेकार्ड में उपलब्ध प्रदर्श ए–3 जो कि प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 400/1988 बउनवान महाराजसिंह बनाम किशोरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में यह दावा केवल महाराजसिंह की ओर से पेश किया गया था। उक्त दावे में उल्लेखित उम्र का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि तत्समय वह काश्त करने की स्थिति में नहीं होने के कारण उस दावे को विड्रा करके नया दावा हाकिमसिंह व महाराजसिंह के नाम से किया। उक्त रेकार्ड के आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 को वादी के विरूद्ध निर्णित करने में कोई गलती नहीं की है। सारांशतः वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद को उपलब्ध रेकार्ड तथा गवाहानात के बयानात के आधार पर समस्त तनकियों को विरचित करने में विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। अतः हमारी विनम्र राय में मामले में सहायक जिला कलक्टर वैर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 विधि सम्मत पाया जाता है।

10. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अपास्त की है। यद्यपि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपना निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं किया है, परन्तु मुख्य बिन्दु कि वादी का विवादित आराजी पर सम्वत 2012 से कब्जाकाश्त चला आ रहा है, इसके सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष निर्णय में अंकित किया है। अपील का सारवान निर्णय देने पर विवाद्यकवार निर्णय दिया जाना आवश्यक नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए न्यायिक दृष्टान्त से हम सहमत नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या तात्विक अनियमितता नहीं की है।

11. विवादित आराजी बाबत दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निर्णय पारित किए है। जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि द्वितीय अपील के स्तर पर उसी प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या तात्विक अनियमितता अपने निर्णय में कारित की हो। परन्तु हमारी राय में विचाराधीन प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि सम्मत है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण उसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना समीचीन है।

13. परिणामतः अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16–02–2006 व विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर वैर द्वारा प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 को यथावत रखा जाता है।

14. प्रकरण उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य